न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005

ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/196 **दिनांक :- 28.03.2025**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः–प्रकरण संख्या 14/2023 अनवान औंकार सिंह आदि बनाम अनमोल सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 28.03.2025 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि.क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 10, 9, 8, 7, 6 व मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 10, 9, 8, 7, 4, 5 व मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 5 व मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25, 15, 16 व मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 व मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 5 व मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4 में 3 फीट नीचे भूमिगत पाईप लाईन की स्वीकृति इस आदेश के साथ प्रदान की जाती है कि पाईप के रख रखाव व मरम्मत की जिम्मेवारी स्वंय प्रार्थीगण की होगी। खडी फसल में मरम्मत का कार्य नहीं किया जावेगा। मरम्मत का कार्य सहखातेदारान की सहमति से किया जावेगा। यदि सहखातेदारान सहमति नहीं देते है, तो प्रार्थीगण के द्वारा तहसीलदार श्रीकरणपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, राजस्व कार्मिक की देखरेख में मरम्मत का कार्य किया जावेगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पाईप लाईन डालने की प्रतिकर राशि (प्रचलित डीएलसी दर का 10 प्रतिशत) प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्ध अप्रार्थीगण को भुगतान करे। यदि हितबद्ध अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थीगण इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(श्योराम) (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर